न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अरनोद, जिला प्रतापगढ

पीठासीन अधिकारी – श्री विजयेश कुमार पण्ड्या (R.A.S.)

दायर दिनांकः– 25.05.2019

प्रकरण संख्या – 40/19

अनवान– 1. मु0 बगदीबाई बेवा नन्दलाल मीणा
2. पुजा पिता नन्दलाल मीणा निवासी बनेडिया कला

बनाम

1. ललिता पिता नन्दलाल मीणा पत्नि पुनमचन्द मीणा निवासी वनपुरा
2. ईशा पिता नन्दलाल मीणा पत्नि जगदीश मीणा नि0 जोशला त0 दलोदा(मध्यप्रदेश)
3. धापु पिता नन्दलाल मीणा पत्नि श्यामलाल मीणा नि0 रामनगर
4. अंगुरबाला पिता नन्दलाल मीणा पत्नि राजु मीणा नि0 रजोरा त0 प्रतापगढ
5. तहसीलदार अरनोद

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136/L.R.A. इन्द्राज दुरस्ती हेतु प्रार्थना पत्र

प्रार्थीगण की और से प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण एवं विपक्षी स. 1 से 4 के सयुंक्त खातेदारी की आराजीयात ग्राम बनेडिया कलां प0 ह0 विरावली तहसील अरनोद में खाता संख्या 89 में स्थित **आ0 न0 360 रकबा 1.82 हे0, आ.न. 646/342 रकबा 0.10 हे0 तथा आ.न. 649/345 रकबा 0.10 हे0 कुल किता 03 कुल रकबा 2.02 हे0** दर्ज रिकार्ड है।

प्रार्थना पत्र में वर्णित उक्त आराजीयात प्राथीगण एंव विपक्षी स0 1 से 4 तक की संयुक्त खातेदारी की है। उक्त आराजीयात पूर्व में प्रार्थी स0 1 के पति व प्रार्थी 2 एवं विपक्षी स0 1 से 4 के पिता नन्दलाल पिता मांगु मीणा की खातेदारी में दर्ज थी। नन्दलाल पिता मांगु मीणा का स्वर्गवास दिनांक 04.08.2016 को हो चुका है तथा प्रार्थीगण एंव विपक्षी 1 से 4 तक स्वर्गीय नन्दलाल जी के वारिसन है। प्रार्थीगण एंव विपक्षीगण के अलावा अन्य कोई वारिसान नहीं होकर स्वर्गीय नन्दलाल जी के कोई जायन्दा पुत्र भी नही है।

नन्दलाल जी के स्वर्गवास के पश्चात उनकी खातेदारी की आराजीयात को विरासत के आधार पर नामान्तरण करते समय राजस्व कर्मचारियों ने सेवन से राजस्व रिकॉर्ड में राहुल नाम के व्यक्ति को नन्दलाल जी का पुत्र गलत रूप से राजस्व रिकार्ड में अंकन कर दिया जबकि प्रार्थीगण एंव विपक्षीगण के अलावा नन्दलाल जी के कोई वारीसान नही है और न ही प्रार्थी स0 1 से कोई राहुल नाम का कोई पुत्र पैदा हुआ है और न ही प्रार्थी स0 2 व विपक्षीगण स0 1 से 4 का राहुल नाम का भाई है। जिससे राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज दुरस्ती की जाकर

रिकार्ड में राहुल का नाम हटाया जाकर प्रार्थीगण एंव विपक्षीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित किया ... न्यायोचित होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना हुआ है। प्रार्थीगण की उक्त आराजीयात से नाम दुरस्ती हेतु पूर्व में कई बार तहसीलदार अरनोद एंव पटवार हल्का को कहने के बाद भी इन्द्राज दुरस्त नहीं किया गया और उन्होने मना कर दिया है। इस लिए यह प्रार्थना श्रीमान के न्यायालय में पेश किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगण उपस्थित हुए और अपना जवाब प्रस्तुत किया। विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया गया है। प्रार्थीगण स0 1 का शपथ पत्र एवं बयान लेखबद्व किये गये। जमाबन्दी संवत 2072–75 प्रार्थी द्वारा पेश की गई जो मौजा बनेडिया कला के खाता स0 89 में स्थित उक्त आराजीयात नन्दलाल पिता मांगु के नाम दर्ज रिकार्ड है। नन्दलाल पिता मांगु मीणा का मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किया। सरपंच ग्राम पंचायत विरावली द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र के पश्च भाग पर सजरा प्रमाणित किया है तथा नन्दलाल जी के कोई पुत्र वारिसान नही होने का प्रमाण पत्र भी पेश किया गया है। तहसीलदार अरनोद व पटवारी पटवार हल्का विरावली की रिपोर्ट पेश हुई जिसमें राहुल नन्दलाल का पुत्र नहीं होना जाहिर किया है। परिवार के राशन कार्ड की फोटो प्रति, परिवार के भामाशाह कार्ड की फोटो प्रति पेश की है। जिससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि राहुल नाम का कोई नन्दलाल का वारिस नही है। जमाबन्दी संवत 2072–75 के अनुसार पटवार हल्का विरावली द्वारा ना0 स0 55 दि0 10.10.17 से नामान्तरण खोला गया जिसमें राहुल, ललिता, ईशा, धापुबाई, अंगुरबाला, पुजा पिता नन्दलाल राहुल पुजा ना.बा.स. माता बगदी बाई पत्नि नन्दलाल मीणा सा. देह के नाम नामान्तरण खोला गया है। प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत के अनुसार प्रार्थीगण एंव विपक्षीगण 1 से 4 ही स्वर्गीय नन्दलाल के वारिसान है। राहुल नाम का कोई वारिस होना नही बताया है तथा अन्य रिकार्ड से भी राहुल का नाम नही है।

अतः मोजा बनेडिया कलां के खाता स0 89 में स्थित आराजीयात के खातेदार का नाम शुद्धि कर राहुल, ललिता, ईशा, धापुबाई, अंगुरबाला, पुजा पिता नन्दलाल राहुल पुजा ना.बा.स. माता बगदी बाई पत्नि नन्दलाल मीणा सा. देह के स्थान पर **ललिता, ईशा, धापुबाई, अंगुरबाला, पुजा पिता नन्दलाल पुजा ना.बा.स. माता बगदी बाई पत्नि नन्दलाल मीणा** सा. देह किए जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार अरनोद को तहरीर जारी हो कि राजस्व रिकार्ड में उक्तानुसार इन्द्राज दुरस्ती कर पालना रिपोर्ट पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2019 को सरे ईजलास सुनाया गया।

पत्रावली के फैशन शुमार हो कर नम्बर से कम हो।

31/7/19

(विजयेश कुमार पंड्या)
उपखण्ड अधिकारी
अरनोद